




कम से कम 20 सेकण्ड तक साबुन से बार-बार हाथ धोएं,
कोरोना वायरस के संक्रमण से अपने को बचायें



सोशल डिस्टेन्स बनायें,
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचें।

“आम नागरिक को सूचनार्थ” कोविड-19 के दृष्टिगत आवश्यक वस्तुओं के निर्धारित मूल्य जनपद-मुजफ्फरनगर।

आप सभी सम्मानित व्यापारियों से अपेक्षा की जाती है कि निम्नानुसार ही बेचें।
किराना से सम्बन्धित

क्र० सं०	जिन्स का नाम	थोक भाव	फुटकर भाव	क्र० सं०	जिन्स का नाम	थोक भाव	फुटकर भाव
1	उडद दाल	105	115	11	चावल बासमती	52	55
2	काली उडद दाल	78	85	12	माचिस	9.20	10
3	अरहर दाल	78	85	13	नमक	10	15
4	मसूर दाल	79	85	14	राजमा	80	85
5	चना दाल	60	65	15	सरसों तेल	95	100
6	बेसन	69	75	16	रिफाईण्ड तेल	92	95
7	आटा	24	25	17	हल्दी	150	160
8	सूजी	30	35	18	मिर्च	210	230
9	गेहूँ	20	21	19	सर्फ	43	50
10	चावल कॉमन	25	26	20	गुड़	28	35
				21	चीनी	36	38

पशु आहार से सम्बन्धित

क्र० सं०	जिन्स का नाम	थोक	फुटकर
1	गेहूँ भूसा	700-770 प्रति कुन्तल	800 प्रति कुन्तल
2	बाजरा	1700 प्रति कुन्तल	1800-1900 प्रति कुन्तल
3	मक्का	1850 प्रति कुन्तल	1900-2000 प्रति कुन्तल

1-उक्त के अतिरिक्त ऐसे पैकड आइटम जिनपर एम०आर०पी० अंकित है, अंकित एम०आर०पी० से अधिक मूल्य पर नहीं बेचे जाएंगे।

2-यदि कोई व्यापारी, दुकानदार किराना/सब्जियों/फलों उपरोक्त निर्धारित दरों से अधिक दरों पर विक्रय करते हुए जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।


किसी भी व्यापारी, दुकानदार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक पर बेचने की शिकायत पर कन्ट्रोल रूम नं०-0131-2436918 पर व व्हाट्सअप नं०-7017991461 पर सूचना दी जा सकती है।

इस दौरान पान, गुटका, मसाला बेचना पूर्णतः प्रतिबन्धित है।

आज्ञा से—
जिला प्रशासन
मुजफ्फरनगर।



कम से कम 20 सेकण्ड तक साबुन से बार-बार हाथ धोएं,
कोरोना वायरस के संक्रमण से अपने को बचायें



सोशल डिस्टेंस बनायें,
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचें।

“आम नागरिक को सूचनार्थ” कोविड-19 के दृष्टिगत आवश्यक वस्तुओं के निर्धारित मूल्य जनपद-मुजफ्फरनगर।

आप सभी सम्मानित व्यापारियों से अपेक्षा की जाती है कि निम्नानुसार ही बेचें।

फल व सब्जियाँ

क्र० सं०	सब्जी का नाम	भगतसिंह रोड सब्जी रेट प्रति किलोग्राम फुटकर	शामली रोड सब्जी मण्डी रेट प्रति किलोग्राम थोक	कूकडा सब्जी मण्डी रेट प्रति किलोग्राम थोक	फल		
					फल का नाम	थोक	फुटकर
1	मटर	35-40	25-30	20	सेव	60	100-120
2	टमाटर	25-30	15-20	20	अनार	50	70-80
3	आलू	20-25	20	18	केला	35	50-60
4	गाजर	25-30	20	20	अंगूर	55	80
5	फूल गोभी	20-25	15-20	15-20	तरबूज	15	20
6	मूली	15-20	06	06	पपीता	20	25-30
7	लौकी	25-30	18-20	10-15	मौसमी	20	35
8	बीन	35-40	25-30	20-30	नारियल	15	20
9	चुकन्दर	25-30	10-15	8-10	संतरा	30	50
10	करेला	75-80	55-60	50-60			
11	अदरक	75-80	65-70	60-70			
12	हरी मिर्च	25-30	18-20	15-20			
13	तोरई	70-80	55-60	50-60			
14	गवार की फली	55-60	35-40	30-40			
15	बैंगन	35-40	15-20	15-20			
16	भिण्डी	110-120	75-80	60-80			
17	खीरा	35-40	20-25	20-25			
18	लहसुन	75-80	55-60	55-60			
19	कद्दू	18-20	18-20	10-15			
20	धनिया	20-25 (प्रति गड्डी)	10 (प्रति गड्डी)	8-10 (प्रति गड्डी)			
21	पत्ता गोभी	18-20	10	10			
22	प्याज	25-30	20-25	20-25			

1-उक्त के अतिरिक्त ऐसे पैकड आइटम जिनपर एम0आर0पी0 अंकित है, अंकित एम0आर0पी0 से अधिक मूल्य पर नहीं बेचे जाएंगे।

2-यदि कोई व्यापारी, दुकानदार उपरोक्त निर्धारित दरो से अधिक दरो पर विक्रय करते हुए जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

किसी भी व्यापारी, दुकानदार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक पर बेचने की शिकायत पर कन्ट्रोल रूम नं०-0131-2436918 पर व
ट्रांसअप नं०-7017991461 पर सूचना दी जा सकती है।

इस दौरान पान, गुटका, मसाला बेचना पूर्णतः प्रतिबन्धित है।

आज्ञा से-
जिला प्रशासन
मुजफ्फरनगर।